सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.04.2021

लाटरी का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, शत प्रतिशत रू0 1,60,000/— बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना छपिया पुलिस को लाटरी का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर शत प्रतिशत रकम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 03.04.2021 को वादी वसीउल्लाह पुत्र चम्मल नि0 दौलतपुर माफी थाना छपिया जनपद गोण्डा ने लिखित सूचना दी कि कुछ लोगो ने 10 लाख की लाटरी के बहाने उससे रू0 1,60,000/— की ठगी की है। इस सूचना पर थाना छपिया में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 07.04.2021 को थानाध्यक्ष छपिया व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम ने घटना में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्त अब्दुल अलीम के कब्जे से रू0 1,25,000/— नगद, 01 अदद मोबाइल व 01 अदद मोटरसाईकिल, अभियुक्त दीपू पाण्डेय के कब्जे से रू0 30,000/— नगद, 01 अदद मोबाइल व 01 अदद मोटरसाईकिल व अभियुक्त समरथ सिंह के कब्जे से रू0 5,000/— नगद, 01 अदद मोबाइल व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद की गयी। उक्त अभियुक्तगण जनपद गोण्डा व आस—पास के जनपदों में लोगो को लाटरी/लकी ड्रा का झांसा देकर उनसे ठगी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अब्दुल अलीम पुत्र हैदर अली नि0 भिटौरा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
02. दीपू पाण्डेय पुत्र गिरजेश पाण्डेय नि0 कलनिया बैरावा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. समरथ सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह नि0 ग्राम रामपुर पूरे ढाढू थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. रू0 1,60,000/— नगद।
02. 03 अदद मोबाइल।
03. 03 अदद मोटर साईकिल।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—122/21, धारा 420.406.411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त समरथ सिंह का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—349/15, धारा 419.420.467.468.471.504.506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—335/18, धारा 419.420.342.504.506.406.411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. थानाध्यक्ष छपिया राकेश कुमार सिह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.04.2021

25,000/- का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे आज दिनांक 07.04.2021 को थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज मय पुलिसबल के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त उमाशंकर पुत्र राम प्रसाद नि0 चौहान पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को बेलसर टैक्सी स्टैण्ड से गिरफ्तार लिया गया। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0–23/2021 धारा 498ए,306 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा में वांछित था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रू0 25,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. उमाशंकर पुत्र राम प्रसाद नि0 चौहान पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 करुणाकर पाण्डेय थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज।
02. का0 ओमप्रकाश चौरसिया।
03. म0का0 चन्दा सिंह।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.04.2021

टॉप–10 अपराधी अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। उपरोक्त निर्देशों के क्रम थाना उमरीबेगमगंज पुलिस को टॉप–10 अपराधी को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सोनू उर्फ अंकित सिंह पुत्र राजकरन सिंह नि0 छेदी वैश्यपुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 410 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सोनू उर्फ अंकित सिंह पुत्र राजकरन सिंह नि0 छेदी वैश्यपुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–67/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 410 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकुर वर्मा मय टीम।